सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2012 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2012/00016

अनवान

1. श्री शंकर पिता नाना जी मीणा, निवासी कानुवाडा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री नंगा पिता पूनाजी मीणा, निवासी कानुवाडा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री भूरालाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 18-04-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा कानुवाडा, तहसील ऋषभदेव में स्थित साबिक आराजी संख्या 2298/2174 में से 5 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति दिनांक 23.01.1983 केम्प कागदर के आधार पर दिनांक 23.01.1983 को आवंटित की गयी, जिसके आधार पर पटवारी हल्का कानुवाडा द्वारा नामान्तरकरण खोला जाकर उसके उपनम्बर 2298/2174/24/4 बनाये गये, जिसके हाल आराजी संख्या 4892/228 है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में 50–60 वर्षो से लगातार चली आ रही है। प्रार्थी के खातेदारी की अन्य भूमि आराजी संख्या 228 में मिली हुई है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी नही हुई न ही उद्घोषणा तामिल करायी गयी एवं आवंटन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गयी। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार हो आवंटनशुदा भूमि के पास प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जो एक चक में स्थित होकर चारों ओर पत्थर और थुअर की बाड़ लगा रखी है। विपक्षी संख्या 1 का आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नही है न ही आवंटन शर्तो की पालना उसके द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा

गया, किन्तु दिनांक 11.04.2019 को उनके द्वारा प्रकरण में फर्द अहकाम पर ''आपत्ति नहीं'' अंकित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम कानुवाडा के तहसील ऋषभदेव के साबिक आराजी संख्या 2298/2174 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी नंबर 4892/228 रकबा 1.8 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी श्री नंगा पिता पूना मीणा के खाते होकर दर्ज है, जो वादी के कब्जे काश्त की नहीं है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि से लगती हुई है। आराजी नम्बर 228 रकबा 11.36 हेक्टेयर भूमि बिलानाम है। मौके अनुसार दर्शित भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त को प्रार्थी अपनी भूमि बता रहा है। तहसीलदार से मामले की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से मूल आवंटन पत्रावली संख्या 5778/83 तलब की जाकर प्रकरण में एक तरफा बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होनें अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को विधि विपरीत बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवेदन करने पर पटवारी की जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया नही पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर किसी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना

हम न्यायोचित नहीं समझते है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा कानुवाडा तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 2298/2174 रकबा 5 बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री नंगा पिता पूना मीणा के नाम पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 5759/83 से किया गया आवंटन दिनांक 23.01.1983 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर